शा. नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर

जी.ए.सी.सी. परिसर, भॅवरकुॅआ, इन्दौर

रिपोर्ट

शासकीय नवीन महाविद्यालय इन्दौर में आज दिनांक 19/12/2020 को स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन के अन्तर्गत **वैकल्पिक विवाद समाधान में कैरियर कैसे बनाये** विषय पर एक राष्टीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्थानों से 300 विद्यार्थियों, प्राध्यापकगण अधिकारी संयोजित हुए । इसमें मुख्य वक्ता के रूप में सुश्री इरम माजिद, डायरेक्टर भारतीय मध्यस्थ एवं सुलह संस्थान ने अपने उदबोधन में कहा कि ए.डी.आर. क्या है ? और उसे अपने कैरियर में कैसे चुना जा सकता है, ए.डी.आर. के लिये किस प्रकार के कौशल की आवश्यकता है। आप इसमें एक अच्छे पेशेवर एवं मीडियेटर बन सकते है। उन्होंने मध्यस्थ के लिये क्या स्कील होनी चाहिये बताया कि विद्यार्थियों को पठन–पाठन में रूचि, शोध, अभिव्यक्ति को सुधारने की बहुत आवश्यकता है, साथ ही उन्होनें अपने उदबोधन में कहा किया आज का युवा दुनिया बदल सकता है, क्योकि समाज की आवश्यकताएॅ बदलने के साथ ही विधि में बदलाव आ रहा है । अतः इस परिवेश में विद्यार्थियों को एक अच्छा व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं अध्ययन की आवश्यकता है । उनका कहना था कि अगर आप अपने उददेश्यों में दृढ है तो आप इस क्षेत्र में प्रौन्नति कर सकते है और समाज को एक नई दिशा दे सकते है। उन्होनें अपने वक्तव्य में इन्टर्नशिप एवं मुटिंग पर विशेष रूप से विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया ।

महाविद्यालय के **प्राचार्य डॉ. इनार्मुरहमान** द्वारा अध्यक्षीय उदबोधन में बताया गया कि विधि की ऐसी छवि समाज में विद्यमान है कि कानून सोने व चॉदी की कुंजिया रखने वालों की सहायता करता है । अगर ए.डी.आर. पद्धति को जस्टिस डिलेवरी सिस्टम में न्याय प्रदान करने की मुख्य धारा बना दिया जाये तो समाज के कमजोर वर्ग तक न्याय आसानी से पहुॅच सकता है ।

उन्होनें यह भी व्यक्त किया कि कोई भी पेशा सामान्यतः समाज के लिये ही होता है और समाज विधि के प्रशिक्षित व्यक्तियों से विधिपूर्ण अपेक्षाएॅ रखता है और यह अपेक्षाएॅ संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त की गई है और इन उददेश्यों को प्रर्वतन कराने का कार्य विधि अधिवक्ताओं एवं विधिक संस्थानों का है । अतः अधिवक्ताओं एवं विद्यार्थीयों की समाज में एक सामाजिक अभियन्ता की भूमिका होनी चाहिये, जो समाज में सामाजिक न्याय एवं लोकहित को प्रौन्नत करे । साथ ही विधि महाविद्यालय की भूमिका भी होना चाहिये कि विधिक शिक्षा को संवैधानिक उददेश्यो से जोडकर विद्यार्थियों को संविधान के उददेश्यों के प्रति संवेदनशील बनायें । अन्त में डॉ. मिर्जा मोजिज बेग द्वारा मुख्य वक्ता अतिथि, प्राचार्य एवं कार्यक्रम के संयोजक प्रो. फिरोज तथा स्टॉफ के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारीयों एवं विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया गया।

प्राचार्य

शा.नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर

Scanned by TapScanner